Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **पशुधन सदर्भ व्यक्ति, (एल.आर.पी.), राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुल्ताना, ब्लाक चिड़ावा एवं परियोजना प्रबंधक अधिकारी, (बी.पी.एम.) ब्लॉक चिड़ावा जिला झुंझुनूं को 20.000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुये पकड़े गये।**

जयपुर, 10 नवम्बर, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **धर्मेन्द्र कुमार पशुधन सदर्भ व्यक्ति, (एल.आर.पी.), राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुल्ताना, ब्लाक चिड़ावा व रेणुका, परियोजना प्रबंधक अधिकारी, (बी.पी.एम.) ब्लॉक चिड़ावा जिला झुंझुनूं** को 20,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी झुंझुनूं को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादिया के पिछले आठ माह से वेतन का भुगतान बकाया चल रहा है। राजीविका में वेतन बिल अप्रुवल करने वाले धर्मेन्द्र व इंचार्ज रेणुका परिवादिया के वेतन में से आधी राशि की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे है। प्राप्त शिकायत पर दिनांक 24.10.2025 एवं 29.10.2025 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. ने परिवादिया से वेतन बिल अप्रुवल करने की एवज में 9 माह के वेतन में से आधा 16,000/– रुपये एवं सर्वे के 9,000/– रुपये रिश्वत की मांग की गई।

जिस पर ए.सी.बी. जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झुंझुनूं के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** के द्वारा सत्यापन किया गया जहां इस दौरान आरोपी धर्मेन्द कुमार ने अपने मोबाईल से आरोपिया रेणुका के मोबाईल पर वार्ता की तो आरोपिया रेणुका ने भी परिवादिया के बिलो के अप्रूवल करने के संबंध में धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. से बात करने की कही। रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 10.11.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादिया से आरोपी धर्मेन्द्र कुमार, एल.आर.पी. को 20,000/– रुपये श्रीमती रेणुका बी.पी.एम., ब्लाक चिड़ावा जिला झुंझुनूं के कहने पर 20,000/– रुपये रिश्वत राशि अपने हाथ से प्राप्त कर अपने बैग में रख लिये जहां से रिश्वत राशि 20,000/– रुपये बरामद हो चूके है। मौके पर अग्रीम कार्यवाही जारी है।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्ग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।